



कार्यालय,  
संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेशन बाड़ा रायपुर)

दूरभाष क्रमांक 0771-4240278 ई मेल [jdoduralpur@gmail.com](mailto:jdoduralpur@gmail.com)

क्रमांक / स्था.2 / विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम) / 2022 / 2759

रायपुर दिनांक - 6 JUN 2022

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, गंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ आर नं. 1103/2019 / 20 - दो अटल नगर दिनांक 09/03/2019 ने अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था. / विज्ञापन / सीधी भर्ती / 2019 / 422 - पी.ए. अटल नगर दिनांक 09/03/2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 21.11.2019 की वरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक विषय विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम), के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर, शिक्षक सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 04 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	वर्ग	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5
25030250	SONAL YOGI C/o JITENDRA NATH YOGIBEHIND GOVT. HOSPITAL, NEAR CHURCH OF GOD, DHAMTARI, P.o.DHAMTARI, DHAMTARI C.G. Pin code 493773	OBC	शास.पूर्व माध्य.शाला गोकुलपुर(अंग्रेजी माध्यम), वि.ख.धमतरी, जिला धमतरी	OBC F

  
(के. कुमार)

संभागीय संयुक्त संचालक  
शिक्षा संभाग-रायपुर (छ0ग0)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित शिक्षक 06.06.2022 से 14.06.2022 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित शिक्षक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- छ0ग0 शासन वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा -

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| प्रथम वर्ष   | - | उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत |
| द्वितीय वर्ष | - | उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत |
| तृतीय वर्ष   | - | उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत |

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

4. छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 05 मार्च 2019 की कंडिका 06 की उप कंडिका (5) के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षक, ई (एलबी) / टी(एलबी) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होगी।

नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थित की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।



11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला मेडिकल से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट संबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
13. उपरोक्त आदेश माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित याचिका डब्ल्यू पी.सी. 591,592, 593,594 वर्ष 2012 डब्ल्यू.पी.एस. 10511/2019 तथा 08/2020 तथा यह नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित तथा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

(के.कुमार)

संभागीय संयुक्त संचालक  
शिक्षा संभाग-रायपुर(छ0ग0)

पृ0कमांक/स्था.2/शिक्षक/ विज्ञान(अंग्रेजी माध्यम)/2022/2760 रायपुर दिनांक - 6 JUN 2022  
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक , माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन , स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन , स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन अटल नगर को सूचनार्थ।
5. संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
6. समस्त कोषालय अधिकारी , छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी , छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित शिक्षक को विलंब न हो।
8. सर्व संबंधित प्राचार्य /प्रधान पाठक- हाई स्कूल / हायरसेकण्डरी स्कूल / मिडिल स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजो का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. संबंधित श्री/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

(के.कुमार)

संभागीय संयुक्त संचालक  
शिक्षा संभाग-रायपुर (छ0ग0)